भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2119

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां

†2119. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, स्वास्थ्य सेवा पहुँच में कमियों और उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कवरेज और सृजित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और विशेषज्ञ सेवाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना और उभरते स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या कोई नई स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्नाटक के लिए, विशेषकर दावणगेरे जिले में स्वीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु के माध्यम से किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 12 राज्यों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों में सामान्य मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार, और शराब एवं मादक पदार्थ उपयोग संबंधी विकार (तम्बाकू उपयोग विकार को छोड़कर) सहित मानसिक विकारों की प्रसार दर लगभग 10.6% है। विभिन्न मानसिक विकारों के लिए उपचार अंतराल 70% से 92% के बीच था।

मानसिक विकारों के भार को कम करने के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को विगत पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः 692, 716, 743, 767 और 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोसामाजिक अंत:क्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाइयां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, कार्यबल विकास योजना-क के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों (सूची अनुलग्नक-I में संलग्न) को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कार्यबल विकास योजना-ख के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (सूची अनुलग्नक-II में संलग्न) का भी सहयोग किया है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.8 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के विभिन्न कैडरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों सहित कार्यशील स्वास्थ्य संसाधनों का विवरण, एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिजिटल आर्म के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य 24 x 7, टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से सभी को समान, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसके लिए देश भर में एक टोल-फ्री नंबर (14416) स्थापित किया गया है।

दिनांक 27.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 42 लाख से अधिक कॉल हैंडल की जा चुकी हैं।

सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे अच्छे स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक उन्नत संस्करण है।

अनुलग्नक - I

योजना-क: उत्कृष्टता केंद्र

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम
1.	केरल	मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (इम्हांस), कोझिकोड, केरल
2.	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद
3.	ओडिशा	श्रीराम चंद भंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कटक
4.	पश्चिम बंगाल	मनोचिकित्सा संस्थान, कोलकाता
5.	जम्मू एवं कश्मीर	मनोरोग अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पुणे
7.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक
8.	चंडीगढ़	सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंडीगढ़
9.	तेलंगाना	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद
10.		काकतीय मेडिकल कॉलेज, वारंगल
11.	पंजाब	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, अमृतसर
12.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर
13.		एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर
14.	गोवा	मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान, बम्बोलिम
15.	कर्नाटक	धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान
16.	दिल्ली	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली
17.		मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास), दिल्ली
18.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकार. मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा, टांडा
19.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
20.		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
21.	आंध्र प्रदेश	मानसिक परिचर्या अस्पताल, विशाखापत्तनम
22.	पश्चिम बंगाल	मनोरोग विभाग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज
23.	उत्तर प्रदेश	चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
24.		किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
25.		मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा

अनुलग्नक - II

योजना-ख: पीजी विभागों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना

(19 संस्थानों में 47 पीजी विभाग)

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम
1.	कर्नाटक	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बैंगलोर **(2 पीजी विभाग)**
2.	झारखंड	रांची मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, रांची **(4 पीजी विभाग)**
3.	दिल्ली	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली **(3 पीजी विभाग)**
4.	असम	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर **(4 पीजी विभाग)**
5.	उत्तर प्रदेश	छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ **(4 पीजी विभाग)**
6.	तमिलनाडु	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई **(2 पीजी विभाग)**
7.	गुजरात	सरकारी मेडिकल कॉलेज, सूरत **(1 पीजी विभाग)**
8.		पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, राजकोट **(1 पीजी विभाग)**
9.	राजस्थान	रवींद्र नाथ टैगोर कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान **(1 पीजी विभाग)**
10.		सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर **(1 पीजी विभाग)**
11.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम **(4 पीजी विभाग)**
12.	मध्य प्रदेश	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश **(1 पीजी विभाग)**
13.	महाराष्ट्र	भारतीय नौसैनिक अस्पताल जहाज अश्विनी **(4 पीजी विभाग)**
14.		क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, पुणे **(4 पीजी विभाग)**
15.		क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, ठाणे **(2 पीजी विभाग)**
16.		क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, नागपुर **(2 पीजी विभाग)**
17.	जम्मू और कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर **(4 पीजी विभाग)**
18.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला **(2 पीजी विभाग)**
19.	कर्नाटक	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली **(1 पीजी विभाग)**
